छोटे स्वास्थ्य केंद्र होंगे डिजिटल

■ नड्डा करेंगे ई-सुश्रुत क्लीनिक का शुभारंभ ■ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी कई डिजिटल सुविधाएं

नई दिल्ली, 27 जून. देश में छोटे क्लीनिकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डिजिटलीकरण को नई गति मिलने जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को ई-सुश्रुत क्लीनिक का शुभारंभ करेंगे.

यह सी-डैक द्वारा विकसित एक हल्का, किफायती और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से छोटे आउट पेशेंट क्लीनिकों के लिए तैयार किया गया है. देश के अनेक छोटे क्लीनिक अब भी मरीजों के पंजीकरण, बिलिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे कार्य मैनुअल तरीके से करते हैं. बड़े हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम उनके लिए महंगे और जटिल साबित होते हैं. इसी चुनौती को देखते हुए सी-डैक ने ई-सुश्रुत क्लीनिक विकसित किया है, जो सरल, क्लाउड आधारित और कम लागत वाला डिजिटल समाधान उपलब्ध कराएगा. इसे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, उप-केंद्रों और निजी क्लीनिकों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. यह प्रणाली मरीजों के पंजीकरण, बिलिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग, स्पीच-टू-टेक्स्ट, क्लीनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एबीएचए खोज, स्कैन एंड शेयर जैसी एबीडीएम सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी.

डॉक्टरों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आधारित ऑनबोर्डिंग अनिवार्य होगी. वर्तमान में 800 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और सैकड़ों डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किए जा चुके हैं. वहीं, सी-डैक का ई-सुश्रुत सॉफ्टवेयर देश के 15 से अधिक एम्स सहित कई सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जा रहा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सी-डैक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे. इसके तहत सॉफ्टवेयर के रखरखाव और उन्नयन की जिम्मेदारी सी-डैक निभाएगा, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण क्लाउड होस्टिंग, मरीजों को एसएमएस सेवाओं और अन्य तकनीकी सहायता के लिए वित्तीय सहयोग देगा.

यूपी को 10 हजार करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी

लखनऊ . उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी सात जुलाई को कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में एक विशाल ज[illegible] संबोधित करने आ सकते हैं. पुलिस-प्रशासनिक अमले और [illegible] पार्टी (भाजपा) संगठन ने संभावित कार्यक्रम को लेकर [illegible] युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं. इस ऐतिहासिक जनस[illegible] मंत्री कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए लग[illegible] विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और [illegible] एक लाख से अधिक लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पार्किंग की रूपरेखा तैयार की जा रही है. मुख्य सभा स्थल पर जर्मन हैंगर तकनीक से एक भव्य और विशाल वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण कराया जाएगा. प्रधानमंत्री की सुरक्षा और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में पांच हेलीपैड बनाने की योजना है. एडीएम सिटी आलोक कुमार गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने निराला नगर मैदान का बारीकी से निरीक्षण कर कार्ययोजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, रेलवे प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि सात जुलाई तक इस मैदान को किसी अन्य आयोजन के लिए आवंटित न किया जाए. इस कार्यक्रम में कानपुर-लखनऊ नया एक्सप्रेसवे : लगभग 4,700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस मार्ग का शुभारंभ होगा. अनवरगंज-मंधना रेलवे ट्रैक : 1,115 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस ट्रैक की आधारशिला भी रखी जाएगी. ट्रांसगंगा सिटी पुल : 753 करोड़ रुपये की इस परियोजना का शिलान्यास होगा, जिसके लिए सेतु निगम की लखनऊ टीम पहले ही सर्वे कर चुकी है. नौबस्ता मेट्रो रूट : शहर की लाइफलाइन बन रही मेट्रो के इस नए रूट का उद्घाटन किया जाएगा. सरैया क्रॉसिंग ओवरब्रिज : करीब 150 करोड़ रुपये की लागत वाले इस ओवरब्रिज की सौगात भी शहरवासियों को मिलेगी.

अवैध मदरसे पर फिर चला बुलडोजर

आजमगढ़, 27 जून. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील अंतर्गत मोलनापुर गांव में प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय की सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से पांच कमरों के निर्माण को हटाते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. प्रशासन का कहना है कि भूमि सरकारी रिकॉर्ड में प्राथमिक विद्यालय के नाम दर्ज थी और जांच के बाद निर्माण को अवैध पाया गया. कार्रवाई पूरी होने के बाद जमीन का कब्जा ग्राम प्रधान को सौंप दिया गया. क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. प्रशासन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया राजस्व अभिलेखों व नियमानुसार की गई. उप्र में हाल के वर्षों में सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कई अभियान चलाए गए हैं. गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने एक कथित अवैध मदरसे को भी प्रशासन ने ध्वस्त किया था और संबंधित मामले में जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई थी. वहीं संतकबीरनगर में विदेशी फंडिंग और अवैध निर्माण के आरोपों की जांच के बीच एक मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी.

ईरान-अमेरिका तनाव फिर चरम पर

दोनों देशों के सैन्य हमलों से बढ़ा टकराव

तेहरान/वॉशिंगटन,27जून. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य हमलों के जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तटीय क्षेत्रों पर हवाई हमले किए थे, जिसे उसने युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया.

आईआरजीसी के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में 'क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती के केंद्रों' पर हमले किए गए हैं. हालांकि, इन हमलों के स्थान, प्रकार या नुकसान को लेकर कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है.ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका की ओर से हमले जारी रहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया और अधिक कठोर होगी.

इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार पोज़िशनों पर हमले की पुष्टि की थी.अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई उस ड्रोन हमले के बाद की गई, जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया था.

अमेरिका ने इस घटना को ईरान द्वारा किए गए 'सीज़फायर उल्लंघन' का परिणाम बताया है. वहीं ईरान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जहाज उसके अधिकृत मार्ग से बाहर जा रहा था.

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर युद्धविराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 'हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा.

> व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्हें ड्रोन हमले की जानकारी है, लेकिन अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर कोई विस्तृत खुलासा नहीं किया जाएगा. उन्होंने ईरान की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे अनुचित बताया. सेंटकॉम ने बताया कि उसके विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडारों के साथ-साथ तटीय रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया है. अमेरिकी पक्ष ने दावा किया कि यह हमला सिंगापुर के झंडे वाले जहाज 'ऑर लवली' पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में किया गया, जो ओमान के तट के पास हुआ था.अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बयान साझा करते हुए कहा कि ईरान द्वारा हिंसा की स्थिति में उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा.उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका युद्धविराम समझौते का पालन कर रहा है, लेकिन उल्लंघन का जवाब सख्ती से दिया जाएगा.गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच जून 2026 में युद्धविराम और समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम से यह समझौता फिर से संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ रहा है.

ईंधन की बढ़ी कीमतें वापस लें

▶ एक्स पर खरगे ने केन्द्र सरकार से की मांग

नई दिल्ली, 27 जून. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जनता से राहत छीनकर वसूली की राजनीति कर रही है. खरगे ने शनिवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जब पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान कच्चा तेल 138 डॉलर प्रति बैरल था, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतें वर्तमान से कम थीं, अब कच्चे तेल की कीमत लगभग 70.71 डॉलर प्रति बैरल होने के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी जा रही है.

NAME CHANGE

I **REHANA W/O ZOEB MASALAWALA** HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME TO **REHANA MASALAWALA W/O ZOEB MASALAWALA** HENCEFORTH; I SHALL BE KNOWN AS **REHANA MASALAWALA W/O ZOEB MASALAWALA** FOR ALL FUTURE PURPOSES.

ADDRESS: 20, BOHRA SABIL MANDSAUR, M.P. 458002

NAME CHANGE

I **SHUBHAM S/O RAJESH** HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS **SHUBHAM JAIN S/O RAJESH** SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **SHUBHAM JAIN S/O RAJESH**

ADD: 142, NAVKAR GOLD MANDSAUR

NAME CHANGE

I **ZAHRA SHABBIRALI LOTYA D/O SHABBIR ALI QASIM ALI LOTYA** HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS **ZAHRA SINGAPURWALA W/O BURHANUDDIN SINGAPURWALA** SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **ZAHRA SINGAPURWALA W/O BURHANUDDIN SINGAPURWALA**

ADD.: 111,BOHRA BAKHAL GALI MANDSAUR

कार्यालय नगर पालिका परिषद महिदपुर जिला उज्जैन

एनआईटी क्रमांक - ई-टेण्डरिंग / 2026 / 1703 — महिदपुर, दिनांक 25.06.2026

।। निविदा सूचना ।।

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है:-

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_516784_1 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में 125 एचपी वर्टिकल पम्प की शॉफ्ट एवं केसिंग सामग्री क्रय एवं मरम्मत कार्य ।	8 माह 20.00 लाख	5000/- 15000/-	29-07-2026
2	2026_UAD_516784_2 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवश्यक्तानुसार स्थानों पर मूरम फिलिंग कार्य ।	8 माह 20.00 लाख	5000/- 15000/-	29-07-2026
3	2026_UAD_516784_3 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वच्छता / सुरक्षा उपकरण एवं पीपीई सामग्री का प्रदाय ।	8 माह 20.00 लाख	5000/- 15000/-	29-07-2026
4	2026_UAD_516784_4 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में टेण्ट व्यवस्था का कार्य ।	8 माह 20.00 लाख	5000/- 15000/-	29-07-2026
5	2026_UAD_516784_5 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में एलईडी एवं साउण्ड व्यवस्था का कार्य ।	8 माह 20.00 लाख	5000/- 15000/-	29-07-2026
6	2026_UAD_516784_6 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वच्छता प्रसार सामग्री का निर्माण व प्रदाय ।	8 माह 20.00 लाख	5000/- 15000/-	29-07-2026
7	2026_UAD_516784_7 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में मोटर पम्प रिवाईंडिंग एवं मरम्मत कार्य ।	8 माह 10.00 लाख	2000/- 10000/-	14-07-2026
8	2026_UAD_516784_8 (29-09-2026)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में फिल्टर प्लांट पर स्थापित क्लोरीन गैस कंटेनर रीफिलिंग कार्य कंपलीट ।	8 माह 10.00 लाख	2000/- 10000/-	14-07-2026

नोट - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् महिदपुर — मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् महिदपुर

चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट ऑफिस: "चोला क्रेस्ट", C54 और 55, सुपर B-4, तिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032.

कब्जे का नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

मैं, M/s चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13[2] के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं - 1. श्री साई एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता), 2. नीलेश राणावत (सह-उधारकर्ता), 3. अंगूरबाला राणावत (सह - उधारकर्ता) - को 24.02.2026 (लोन अकाउंट नंबर TL01RTM0000063582) को एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें नोटिस में बताई गई रकम - 11.02.2026 तक रू. 69,08,765/- [उनहत्तर लाख आठ हजार सात सौ पैंसठ मात्र] - और उसके बाद का ब्याज और शुल्क, नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैंने, एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई संपत्ति का कब्जा ले लिया है

जून 2026 का दिन 25 तारीख.

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय के बारे में है।

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें; संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन M/s चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रू. 69,08,765/- [उनहत्तर लाख आठ हजार सात सौ पैंसठ मात्र] (11.02.2026 तक) के चार्ज (दावे) के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

आइटम नंबर 1: गाँव बाजनखेड़ा, तहसील और ज़िला रतलाम में लैंड सर्वे नंबर 238/2 का प्लॉट/घर नंबर 127 (क्षेत्रफल 85 वर्ग मीटर)। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: रतलाम-खाचरौद मार्ग, पश्चिम: पुरानी सरकारी सड़क, उत्तर: श्रीमती अंगूरबाला का प्लॉट/घर नंबर 125 और 126, दक्षिण: रमेश का प्लॉट/घर नंबर 128। आइटम नंबर 2: गाँव बाजनखेड़ा, तहसील और ज़िला रतलाम में लैंड सर्वे नंबर 238/2 के प्लॉट नंबर 125 और 126 (क्षेत्रफल 123 वर्ग मीटर)। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: रास्ता, पश्चिम: सरकारी जमीन, उत्तर: नागेश्वर की जमीन, दक्षिण: कैलाश की जमीन।

दिनांक: 25.06.2026 — अधिकृत अधिकारी
स्थान: रतलाम — मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, पाँचवीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051। पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सीन आईटी पार्क, टावर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ। इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल सम्पत्तियां ("सुरक्षित आस्तियां") जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद एसएमएचएफसी कहा जाएगा) ("सुरक्षित ऋणदाता") के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है"** और **"जहां है जैसा है"** के आधार पर बेची जाएंगी। नीचे उल्लिखित दिनांक और समय पर, नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए और वसूली की तारीख तक उस पर ब्याज और अन्य खर्चों के लिए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से एसएमएचएफसी सुरक्षित ऋणदाता को देय।

स. क्रं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम लैन	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य: / बयाना राशि जमा:	ई-नीलामी की तिथि और समय	ईएमडी जमा करने की तिथि
1	लैन नं. 601738011733920 1. सोहेब बेग 2. रईस बेग	देवास में स्थित रो हाउस नंबर 219, लाइफस्टाइल कॉलोनी, माँ कमला नगर के पास, गाँव नागूखेड़ी (पीएच नंबर 33), तहसील और ज़िला देवास (म.प्र.) की पूरी प्रॉपर्टी। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - प्लॉट नंबर 211, पश्चिम - कॉलोनी रोड, उत्तर - रो हाउस नंबर 220, दक्षिण - रो हाउस नंबर 218 इसका कुल क्षेत्रफल 590.94 वर्ग फीट है।	रु. 18,00,000/- / रु. 1,80,000/-	20.07.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	18.07.2026

बिक्री के नियम और शर्तें नीचे दिए गए हैं और ये विवरण हमारी/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं: निम्नलिखित लिंक (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) इच्छुक बोलीदाता कमल भालसे से मोबाइल नंबर 9424908099, ईमेल: kamal.bhalse@grihashakti.com पर और श्री निलॉय डे से मो. नं. 8655619157, ईमेल: Niloy.Dey@grihashakti.com पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : देवास, मध्य प्रदेश — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक : 26.06.2026 — एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता सं.) LNMEDHA000046958 (पुराना) 80400005606796 (नया) (धार शाखा) सुनील कुमार माहेश्वरी (उधारकर्ता) मोहनलाल माहेश्वरी, सीता बाई, अंजना माहेश्वरी (सह-उधारकर्ता)	15.06.2026 रू. 26,03,346/- (01.06.2026 तक)	रेसिडेंशियल हाउस नंबर 50, जिसका एरिया 1250 स्क्वेयर फीट है, सर्वे नंबर 1075/2, पीएच नंबर 01, वार्ड नंबर 08, गाँव राजोद, तहसील सरदारपुर, ज़िला धार, मध्य प्रदेश 454660 की पूरी प्रॉपर्टी; जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: उसी सर्वे नंबर का बाकी हिस्सा, दक्षिण: सर्वे नंबर 1076 की जमीन, पूर्व: सड़क, पश्चिम: उसी सर्वे नंबर का बाकी हिस्सा।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थान: धार — एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 28.06.2026 — कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

AMBIT Finvest Pragati ke partner

कॉर्पोरेट कार्या.: कनकिया वॉल स्ट्रीट, पांचवीं मंजिल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के तहत नियम 3 के साथ पढ़े जाने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करता/करती हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकताओं को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी को यह विश्वास है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है:

ऋण लेने वाले का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. लाला चरण 2. श्रीमती. धापू बाई लैन नंबर DHR000000089674	17-06-2026. रू. 23,47,689.20/- (तेईस लाख सैंतालीस हजार छह सौ नवासी और बीस पैसे मात्र) दिनांक: 16-06-2026

गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण: सर्वे नंबर 308, पीएच नं.-13/22, हाउस नंबर -56 वाली पूरी संपत्ति; क्षेत्रफल 5400 वर्ग फुट या 501.858 वर्ग मीटर; निर्मित क्षेत्र 2700 वर्ग फुट; वार्ड नंबर 14, गांव गोंडीखेड़ा चरण, तहसील और जिला धार, मध्य प्रदेश - 454111। सुरक्षित संपत्ति की सीमाएं: पूर्व - सार्वजनिक सड़क; पश्चिम - राजेश (पिता नाथूलाल) का घर; उत्तर - गंगाबाई देवसुर का घर; दक्षिण - सार्वजनिक गली/सड़क।

ऋण लेने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस का पालन करें और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान प्राप्ति की तिथि तक के खर्चों सहित करें। ऋण लेने वाले व्यक्ति ध्यान दें कि AFPL एक सुरक्षित ऋणदाता है और ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है, जो ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि ऋण लेने वाले व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपने दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो AFPL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करना या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। AFPL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य AMPL को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो AFPL को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत AFPL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है, और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को AFPL की पूर्व लिखित सहमति के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित कोई भी लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (सामान्य व्यवसाय के अलावा) किसी भी गिरवी रखी गई संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक: 28.06.2026 — हस्ताक्षर/- अंकेत मोरे,
स्थान: मध्य प्रदेश — अधिकृत अधिकारी, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटे